कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 269/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 11.07.2026

प्रेस नोट, दिनांक- 11.06.2026

साइबर सेल, जनपद आजमगढ़

टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अश्लील फोटो/वीडियो बेचने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल फोन व नगदी बरामद

Lolly Seller नाम के टेलीग्राम चैनल पर अश्लील सामग्री बेचता था, ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से करता था लेन-देन

साइबर सेल एवं थाना जीयनपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो, फोटो एवं ऑनलाइन लेन-देन के साक्ष्य बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री पंकज श्रीवास्तव एवं क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम के नेतृत्व में साइबर सेल एवं थाना जीयनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील फोटो एवं वीडियो बेचने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 10.07.2026 को साइबर सेल द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर थाना जीयनपुर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए राईस मिल चंगईपुर तिराहा स्थित डॉ. रामनरेश कॉलेज के सामने से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ एवं उसके मोबाइल फोन की जांच में टेलीग्राम चैनलों पर अश्लील फोटो एवं वीडियो बेचने तथा ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने से संबंधित डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आकाश चौहान पुत्र जोगिन्दर चौहान, निवासी स्वरूपपुर अमुवारी नारायणपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी-

- 01 अदद OPPO कंपनी का मोबाइल फोन व ₹2,530/- नगद।

पूछताछ में महत्वपूर्ण तथ्य-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह "Lolly Seller" नाम से टेलीग्राम चैनल संचालित करता था तथा विभिन्न टेलीग्राम ग्रुपों पर अश्लील फोटो एवं वीडियो के स्क्रीनशॉट भेजकर उन्हें लगभग ₹400 प्रति वीडियो के हिसाब से बेचता था। भुगतान ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करता था। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि बरामद नगदी अश्लील सामग्री बेचकर अर्जित धनराशि का हिस्सा है। वह अश्लील वीडियो इंटरनेट से डाउनलोड कर उन्हें एडिट कर ग्राहकों को उपलब्ध कराता था।

अभियुक्त के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो, फोटो, टेलीग्राम चैट एवं ऑनलाइन लेन-देन से संबंधित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रकरण में अन्य तकनीकी एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत जांच की जा रही है।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 300/2026, धारा 317(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 294 बीएनएस एवं 67A/67B सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम (प्रभारी साइबर सेल), व0उ0नि0 परमात्मा मिश्रा (थाना जीयनपुर), हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल (साइबर सेल), हे0का0 संदीप यादव (थाना जीयनपुर), का0 राहुल सिंह (साइबर सेल) एवं का0 प्रदुम्न यादव (थाना जीयनपुर)।

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है-

सोशल मीडिया, टेलीग्राम अथवा अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री का निर्माण, प्रसारण, विक्रय अथवा खरीदना कानूनन दंडनीय अपराध है। ऐसे किसी भी अवैध कार्य से दूर रहें। यदि किसी भी प्रकार की साइबर अपराध संबंधी सूचना प्राप्त हो अथवा साइबर धोखाधड़ी या आपत्तिजनक ऑनलाइन गतिविधि का संज्ञान हो तो तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। जनपद आजमगढ़ पुलिस साइबर अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक : 11.07.2026

थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

□ युवती से दुष्कर्म के मुकदमे में नामजद दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ।

□ थाना बिलरियागंज पुलिस की त्वरित कार्रवाई, दोनों अभियुक्तों को घेराबंदी कर दबोचा।

घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि वादी द्वारा थाना बिलरियागंज पर प्रार्थना-पत्र देकर आरोप लगाया गया कि उसकी 21 वर्षीय पुत्री को अभियुक्त *अश्वनी* एवं *मो0 अमजद* द्वारा बहला-फुसलाकर खेत में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। वादिनी के अनुसार, जब वह घर से बाहर रहती थी, तब दोनों अभियुक्त उसके घर पर भी आकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। कुछ समय बाद पीड़िता की तबीयत लगातार खराब रहने पर चिकित्सीय परीक्षण एवं सोनोग्राफी कराए जाने पर उसके गर्भवती होने की जानकारी हुई। पूछताछ करने पर पीड़िता ने दोनों अभियुक्तों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की बात बताई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिलरियागंज पर *मु0अ0सं0 185/2026* धारा *70(1) बीएनएस* पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक *11.07.2026* को *थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा* मय पुलिस टीम क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित दोनों वांछित अभियुक्त *शहाबुद्दीनपुर मंदिर पोखरा* के पास किसी वाहन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए दोनों अभियुक्तों को समय करीब *10:10 बजे* गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 *185/2026*, धारा *70(1) बीएनएस*, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अश्वनी पुत्र स्व. गुड्डू मोदनवाल, निवासी पुराना चौक, निकट सब्जी मंडी, कस्बा बिलरियागंज, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष।
2. मो0 अमजद पुत्र मो0 सिद्दीक, निवासी ग्राम नसीरपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अमित कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष बिलरियागंज
2. का0 विमल शंकर, का0 अनिल कुमार सरोज, म0का0 रोली मिश्रा थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक : 11.07.2026

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

□ निर्माणाधीन पेट्रोल पम्प से चोरी हुए 03 लोहे के फर्मे बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार।

□ थाना गम्भीरपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, चोरी की घटना का सफल अनावरण।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.07.2026 को वादी *मनोज यादव पुत्र विजय बहादुर यादव*, निवासी ग्राम सरसी, थाना करौंदी कला, जनपद सुल्तानपुर द्वारा थाना गम्भीरपुर पर प्रार्थना-पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 08.07.2026 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा ग्राम रानीपुर रजमों स्थित निर्माणाधीन पेट्रोल पम्प पर निर्माण कार्य हेतु रखे लोहे के फर्मे चोरी कर लिए गए हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर *मु0अ0सं0 170/2026* धारा *303(2)/317(2) बीएनएस* बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान चोरी की गई सामग्री की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त *अंगद उर्फ गब्बर* का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में *क्षेत्राधिकारी सदर* के कुशल पर्यवेक्षण एवं *थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी* के नेतृत्व में दिनांक *11.07.2026* को उपनिरीक्षक *विपिन कुमार द्विवेदी* मय हमराह कांस्टेबल *सूरज खरवार* एवं *पंकज कुमार सिंह* क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं चोरी गई संपत्ति की तलाश में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रानीपुर रजमों स्थित पेट्रोल पम्प से चोरी किए गए लोहे के फर्मों को लेकर अभियुक्त *अंगद उर्फ गब्बर* पटेल ढाबा से हाईवे के रास्ते मोहम्मदपुर की ओर बेचने के उद्देश्य से जा रहा है।
सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी करते हुए अभियुक्त को *समय करीब 08:19 बजे* मोहम्मदपुर के पास गिरफ्तार कर उसके कब्जे से *03 अदद लोहे के फर्मे* बरामद किए गए। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अंगद उर्फ गब्बर पुत्र रामहित, निवासी ग्राम रोहूआ, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 29 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 *170/2026*, धारा *303(2)/317(2) बीएनएस*, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

03 अदद लोहे के फर्मे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी, थाना गम्भीरपुर।
2. कांस्टेबल सूरज खरवार, थाना गम्भीरपुर।
3. कांस्टेबल पंकज कुमार सिंह, थाना गम्भीरपुर।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक : 11.07.2026

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

☐ साइबर हेल्पडेस्क फूलपुर की त्वरित कार्रवाई, ऑनलाइन प्राइवेट जॉब के नाम पर हुई ₹3,000 की साइबर ठगी की धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।

☐ साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज शिकायत के आधार पर प्रभावी पैरवी, बैंक समन्वय एवं एमआरएम पोर्टल के माध्यम से पीड़ित को मिली राहत।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

शिकायतकर्ता *उदयराज पुत्र रामलोचन*, निवासी ग्राम खानपुर, पोस्ट मुड़ियार, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक *31.01.2026* को अज्ञात साइबर ठग द्वारा ऑनलाइन प्राइवेट जॉब दिलाने के नाम पर सर्विस चार्ज लेने का झांसा देकर उनके *State Bank of India* के खाते से *₹3,000* की साइबर ठगी कर ली गई। घटना के उपरांत शिकायतकर्ता द्वारा तत्काल *साइबर हेल्पलाइन 1930* एवं *राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल* पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसका शिकायत/एकनॉलेजमेंट संख्या *23101260020520* है।

रुपया वापसी का विवरण-

शिकायत प्राप्त होने पर साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए फ्रॉडस्टर के बैंक खाते को नोटिस के माध्यम से फ्रीज कराया गया। तत्पश्चात *एमआरएम (Money Return Mechanism) पोर्टल* के माध्यम से संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से ई-मेल एवं दूरभाष के जरिए समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कार्रवाई कराई गई, जिसके फलस्वरूप शिकायतकर्ता *उदयराज* के खाते में *₹3,000* की पूरी धनराशि सफलतापूर्वक वापस करा दी गई।

साइबर सुरक्षा संदेश-

जनपद आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि ऑनलाइन नौकरी, निवेश, लोन अथवा अन्य किसी भी प्रकार के आकर्षक ऑफर के नाम पर अज्ञात व्यक्तियों के झांसे में आकर किसी भी खाते में धनराशि स्थानांतरित न करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल *1930* पर कॉल करें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कराएं।

साइबर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दयानन्द, म0आ0 पूजा पाण्डेय, *थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़*

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक : 11.07.2026
थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

□ जानलेवा हमले के मुकदमे में फरार तीन वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई।

□ न्यायालय के आदेश के अनुपालन में घर पर नोटिस चस्पा कर डुगडुगी के माध्यम से उद्घोषणा, आत्मसमर्पण न करने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी।

घटना का विवरण-

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 334/2026* धारा *3(5), 115(2), 118(1), 109(1), 333, 352, 351(3), 125(ए) बीएनएस* से संबंधित वांछित अभियुक्त *1. तलहा उर्फ अबू तलहा, 2. समीर एवं 3. उमैर, पुत्रगण मोहम्मद अहमद उर्फ सोनू, निवासी मोहल्ला कोट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़* की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। इसके बावजूद अभियुक्तगण गिरफ्तारी से बचते रहे तथा माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण भी नहीं किया।

माननीय *मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़* द्वारा पारित आदेश दिनांक *10.07.2026* के अनुपालन में अभियुक्तगण के विरुद्ध *धारा 84 बीएनएसएस* के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। नियमानुसार अभियुक्तों के आवास के मुख्य द्वार पर उद्घोषणा संबंधी नोटिस चस्पा किया गया तथा डुगडुगी बजवाकर सार्वजनिक उद्घोषणा कराई गई। साथ ही नियमानुसार गवाहों के हस्ताक्षर भी अंकित कराए गए।

मुकदमे का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा एकजुट होकर वादी के घर में घुसकर वादी एवं उसके पुत्र के साथ मारपीट, जानलेवा हमला, गाली-गलौज, जान से मारने की नीयत से पथराव तथा चाकू से हमला किए जाने के संबंध में थाना कोतवाली पर *मु0अ0सं0 334/2026* धारा *3(5), 115(2), 118(1), 109(1), 333, 352, 351(3), 125(ए) बीएनएस* पंजीकृत है।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. तलहा उर्फ अबू तलहा पुत्र सोनू उर्फ मोहम्मद अहमद, निवासी मोहल्ला कोट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

1. मु0अ0सं0 334/2026, धारा 3(5)/115(2)/118(1)/109(1)/333/352/351(3)/125(ए) बीएनएस, थाना कोतवाली।
2. मु0अ0सं0 553/2023, धारा 323/34/506 भादवि, थाना कोतवाली।

2. समीर पुत्र सोनू उर्फ मोहम्मद अहमद, निवासी मोहल्ला कोट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

1. मु0अ0सं0 334/2026, धारा 3(5)/115(2)/118(1)/109(1)/333/352/351(3)/125(ए) बीएनएस, थाना कोतवाली।
2. मु0अ0सं0 238/2026, धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस, थाना कोतवाली।

3. मु0अ0सं0 282/2024, धारा 323/336/34/504/506 भादवि, थाना कोतवाली।

3. उमैर पुत्र सोनू उर्फ मोहम्मद अहमद, निवासी मोहल्ला कोट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

1. मु0अ0सं0 334/2026, धारा 3(5)/115(2)/118(1)/109(1)/333/352/351(3)/125(ए) बीएनएस, थाना कोतवाली।

जनपद आजमगढ़ पुलिस का संदेश-

फरार एवं वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई निरंतर जारी है। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध उद्घोषणा, कुर्की सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई भी नियमानुसार की जाएगी।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक : 11.07.2026

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

□ अवैध गांजा एवं बिक्री के नकदी के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

□ थाना देवगांव पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, सूचना पर कैथीशंकरपुर अंडरपास के पास दबोचा गया आरोपी।

घटना का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में *थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह* मय पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में कस्बा लालगंज क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध गांजा लेकर कैथीशंकरपुर अंडरपास की ओर मौजूद है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दिनांक *10.07.2026* को समय करीब *23:30 बजे* अभियुक्त *अरविन्द मौर्या पुत्र रामदुलार मौर्या, निवासी कलन्दरपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 46 वर्ष* को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से *900 ग्राम अवैध गांजा* तथा गांजा बिक्री से प्राप्त *₹300 (₹100 के तीन नोट)* बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अरविन्द मौर्या पुत्र रामदुलार मौर्या, निवासी कलन्दरपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 46 वर्ष।

बरामदगी-

1. 900 ग्राम अवैध गांजा।
2. ₹300 नकद (₹100 के तीन नोट)।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 *260/2026*, धारा *8/20 एनडीपीएस एक्ट*, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 104/2018, धारा 279/337/338 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 318/2024, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 413/2024, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 129/2025, धारा 115(2)/352/351(3)/74 बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 260/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, थाना देवगांव।
2. उ0नि0 रविन्द्र नाथ पाण्डेय, चौकी प्रभारी लालगंज।
3. का0 कृष्ण कुमार सिंह, का0 कृष्णानन्द पाण्डेय, रि0का0 तेजस शुक्ला, म0का0 श्वेता सिंह, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक : 11.07.2026
थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

□ अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम प्रकरण में 02 वांछित अभियुक्ताएं गिरफ्तार।
□ स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में त्वरित कार्रवाई, अवैध नर्सिंग होम के स्टाफ को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक *10.07.2026* को *डॉ. आलेन्द्र कुमार, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़* द्वारा थाना सरायमीर पर प्रार्थना-पत्र देकर अवगत कराया गया कि पवई लाड़पुर स्थित डा◌ॅ. *अंगद पाल* के अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित परिजनों ने बताया कि उनके मरीज का उपचार उक्त नर्सिंग होम में दिनांक *12.02.2026* को किया गया था। मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान दिनांक *10.07.2026* को उसकी मृत्यु हो गई।

निरीक्षण के समय नर्सिंग होम संचालक *डॉ. अंगद पाल* मौके पर उपस्थित नहीं मिले, जबकि स्टाफ के रूप में *रेनू विश्वकर्मा* एवं *रोशनी* मौजूद थीं। पूछताछ में यह भी स्पष्ट हुआ कि नर्सिंग होम में कोई वैध चिकित्सक कार्यरत नहीं था। निरीक्षण के उपरांत स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम को तत्काल सील कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर *मु0अ0सं0 181/2026* धारा *105 बीएनएस* के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक *11.07.2026* को *उपनिरीक्षक पंकज यादव* मय पुलिस टीम क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश में भ्रमणशील थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्ताएं रेनू *विश्वकर्मा* एवं *रोशनी* पवई लाड़पुर स्थित अपने किराये के कमरे पर मौजूद हैं।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों अभियुक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करते हुए समय करीब *11:45 बजे* महिला पुलिस कर्मियों की सहायता से विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ताएं-

1. रेनू विश्वकर्मा पुत्री हरिलाल विश्वकर्मा, निवासी ग्राम सोनवारा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।
2. रोशनी पुत्री राजेश, निवासी ग्राम संजरपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 *181/2026*, धारा *105 बीएनएस*, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 पंकज यादव, थाना सरायमीर।
2. रि0आ0 शैलेश कुमार कुशवाहा, रि0आ0 विकासदीप रावत, म0का0 रोशनी तिवारी, म0का0 शहनाज खातून थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक : 11.07.2026
साइबर सेल, जनपद आजमगढ़

● ऑपरेशन "CyVazra" के तहत पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश पर देशव्यापी साइबर ठगी नेटवर्क पर आजमगढ़ पुलिस का सबसे बड़ा प्रहार।

● ऑपरेशन "CyVazra" की बड़ी सफलता : संगठित साइबर ठगी गिरोहों का भंडाफोड़, 11 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, 700 से अधिक राष्ट्रीय शिकायतों (NCRP) का खुलासा।

● ₹10 लाख से अधिक की धनराशि बैंक खातों में फ्रीज, लग्जरी वाहन, हाई-एंड मोबाइल, विदेशी सिम, फर्जी दस्तावेज, एटीएम कार्ड एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश पर में साइबर अपराध के विरुद्ध प्रदेशभर में संचालित विशेष अभियान **"ऑपरेशन CyVazra"** के अंतर्गत **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय डॉ. अनिल कुमार** के निर्देश पर, **अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) चिराग जैन**, **अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) मधुवन कुमार सिंह** एवं **अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) पंकज श्रीवास्तव** के पर्यवेक्षण में जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा देशव्यापी साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोहों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाकर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है।
ऑपरेशन **"CyVazra"** के दौरान प्रभारी साइबर सेल **उप निरीक्षक रवि प्रकाश गौतम मय टीम** व जनपद के विभिन्न थानों द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर प्राप्त देशभर की **684 से अधिक साइबर शिकायतों** का विश्लेषण एवं तकनीकी जांच की गई। जांच के आधार पर जनपद के विभिन्न थानों में **कुल 13 अभियोग पंजीकृत** कराए गए तथा कार्रवाई करते हुए **11 शातिर साइबर अपराधियों** को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान साइबर ठगी से संबंधित **₹10,46,000 (दस लाख, छियालिस हजार रुपये)** की धनराशि विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज कराई गई।
गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से साइबर अपराध में प्रयुक्त अत्याधुनिक उपकरणों, कूटरचित सरकारी दस्तावेजों एवं **अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की बड़ी बरामदगी** हुई, जिनमें-

- 01 अदद महिन्द्रा थार वाहन
- 01 अदद होंडा मोटरसाइकिल
- 01 अदद प्लेटिना मोटरसाइकिल
- कुल 13 अदद हाई-एंड मोबाइल फोन (आईफोन-16, सैमसंग, हुआवेई, ओप्पो सहित अन्य ब्रांड)
- 01 अदद अंतरराष्ट्रीय (विदेशी) सिम कार्ड
- भारी मात्रा में कूटरचित/फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र
- विभिन्न व्यक्तियों के नाम से तैयार फर्जी पहचान पत्र
- फर्जी मालदीव वर्क परमिट संबंधी दस्तावेज
- विभिन्न फर्जी कंपनियों/फर्मों की कूटरचित रबर मुहरें
- 14 अदद सक्रिय एटीएम/डेबिट कार्ड
- 04 अदद ब्लैंक चेकबुक एवं चेक
- ₹10,520/- नगद
-

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण (Total- 11)-

1. **सुधाकर** पुत्र राम समुझ, निवासी– ग्राम इटौरा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. **नितिन मिश्रा** पुत्र हरेन्द्र मिश्रा, निवासी– ग्राम मखदूमपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ (उम्र 24 वर्ष)।
3. **नवनीत सिंह** पुत्र राकेश सिंह, निवासी– ग्राम शम्भूपुर पुरा गहजी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ (उम्र 27 वर्ष)।
4. **सुमित सिंह** पुत्र विजय बहादुर सिंह, निवासी– ग्राम बाकरकोल, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ (उम्र 32 वर्ष)।

5. **मुकेश यादव** पुत्र चन्द्र भूषण यादव, निवासी– हैदराबाद (छतवारा), थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ (उम्र 29 वर्ष)।
6. **रवि कुमार** पुत्र श्रीराम प्रसाद, निवासी– फत्तनपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
7. **यशवीर सिंह** पुत्र विजेन्द्र सिंह, निवासी– ग्राम कड़सारी गौतम, पोस्ट निरंजनपुर, जनपद बस्ती (उम्र 24 वर्ष)।
8. **रामाश्रय सरोज** पुत्र रामपलट सरोज, निवासी– सोफीपुर, थाना देवगाँव, जनपद आजमगढ़।
9. **अमित मौर्या** पुत्र रामसकल मौर्या, निवासी– समडीह आलापुर, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।
10. **स्वप्निल** पुत्र विजयबहादुर, निवासी– ग्राम खुरचंदा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
11. **आकाश चौहान** पुत्र जोगिन्दर चौहान, निवासी– स्वरूपपुर अमुवारी नारायणपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ (उम्र 21 वर्ष)।

साइबर ठगी के तरीके (Modus Operandi Breakdown)

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण एवं विवेचना के दौरान साइबर अपराध करने के विभिन्न संगठित तरीकों का खुलासा हुआ है। अभियुक्त सुनियोजित तरीके से अलग-अलग मॉड्यूल के माध्यम से देशभर के लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाते थे। प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं—

• फर्जी फर्म एवं म्यूल अकाउंट सिंडिकेट:

गिरोह के सदस्य बैंक कर्मियों की मिलीभगत से **"TWINBUILD WELL"** एवं **"RJ INFRA"** जैसी फर्जी फर्मों का निर्माण करते थे। इसके बाद सीधे-साधे लोगों को धन का लालच देकर उनके नाम पर करंट बैंक खाते खुलवाते तथा पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड एवं खातों से लिंक मोबाइल सिम अपने कब्जे में लेकर इन खातों का उपयोग साइबर ठगी की रकम के लेन-देन के लिए करते थे। जांच में ऐसे खातों में मात्र तीन दिनों के भीतर **लगभग ₹40 लाख** तक का संदिग्ध वित्तीय लेन-देन प्रकाश में आया है।

• फर्जी वीजा एवं विदेशी वर्क परमिट के माध्यम से ठगी :

गिरफ्तार अभियुक्त **मुकेश यादव**, जो पूर्व में मर्चेंट नेवी में कार्यरत रहा है, इंटरनेट से मालदीव सरकार के मूल वर्क परमिट का टेम्पलेट डाउनलोड कर मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से उसमें कूटरचना करता था तथा बेरोजगार युवकों एवं श्रमिकों को विदेश में रोजगार दिलाने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपये की धोखाधड़ी करता था।

• टेलीग्राम प्रेडिक्शन, गेमिंग एवं ऑनलाइन लॉटरी फ्रॉड :

अभियुक्त **स्वप्निल** टेलीग्राम पर अनेक फर्जी गेमिंग, कसीनो एवं प्रेडिक्शन चैनलों का संचालन करता था। वह लोगों को कम समय में अधिक लाभ का प्रलोभन देकर धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर कराता था तथा भुगतान प्राप्त होते ही पीड़ितों की टेलीग्राम आईडी ब्लॉक कर उनसे सम्पर्क समाप्त कर देता था।

• सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग एवं अश्लील सामग्री का अवैध कारोबार :

अभियुक्त **आकाश चौहान** टेलीग्राम पर **"Lolly Seller"** नाम से ग्रुप संचालित कर ऑनलाइन भुगतान (UPI) प्राप्त करने के उपरांत अश्लील फोटो एवं न्यूड वीडियो क्लिप्स उपलब्ध कराता था। प्रारंभिक जांच में यह भी प्रकाश में आया है कि इस माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल करने एवं अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने की गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।

प्रारंभिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि गिरफ्तार अभियुक्त फर्जी पहचान पत्र, बैंक खाते, एटीएम कार्ड, मोबाइल सिम एवं कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। बरामद सामग्री के आधार पर इनके नेटवर्क, सहयोगियों तथा साइबर अपराध से अर्जित संपत्तियों के संबंध में गहन विवेचना एवं तकनीकी जांच की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि जनपद पुलिस साइबर अपराध के विरुद्ध पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। साइबर अपराधियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में अभियान निरंतर जारी रहेगा। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल **1930 हेल्पलाइन** अथवा **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल** पर शिकायत दर्ज कराकर पुलिस का सहयोग करें।